CHIEF INSPECTOR OF FACTORIES

रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/97

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED NO. D.L.—33002/97

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 186] दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 8, 1997/आश्विन 16, 1919 [पी.आर.डी. सं. 285

No. 186] DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 8, 1997/ASVINA 16, 1919 [P.R.D. No. 285

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

श्रमायुक्त कार्यालय

अधिसूचना

दिल्ली, 8 अक्तूबर, 1997

संख्या फा. 3(3)/1/96-एल. सी/स्था./4600.— गृह मंत्रालय भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना सं. फा. 24/78/68-डी एच (एस) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व परामर्श के पश्चात्:—

1. इस सरकार के अधीन श्रम विभाग में मुख्य कारखाना निरीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु आवश्यक योग्यताओं और भर्ती पद्धति के संबंध में यहां सलग्न अनुसूची में नियम बनाते है तथा

2. इस सरकार की दिनांक 15 अप्रैल, 1975 की अधिसूचना सं. फा. 2(48)/72-सेवा-II के क्रम संख्या (1) के अनुसार अधिसूचित इस सरकार के श्रम विभाग में मुख्य कारखाना निरीक्षक के पद के भर्ती नियमों को रद्द करते है।

अनुसूची

श्रम विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मुख्य निरीक्षक कारखाना के पद के भर्ती नियम

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है अथवा गैर चयन पद
1	2	3	4	5
मुख्य निरीक्षक कारखाना	01* *1997 इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह-क राजपत्रित अलिपिकीय	3000-100-3500-125-4500 रु.	चयन

Asstt Controller (Business)
Govt of India
Department of Publication

सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	क्या के. सि. से. (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत जोड़े गए सेवा वर्षों का लाभ ग्राह्य है	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षि तथा अन्य योग्यताएं
6	7	8
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगा	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा या स्थानान्तरण द्वारा और प्रत्येक पद्धतियों से भरे जाने वाले की नियुक्ति की प्रतिशत
9	10	11
लागू नहीं	1 वर्ष	पदोन्नति

यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होना हो, तो वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियों में जिनमें भर्ती के लि संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना हैं।
12	13	14
पदोन्नति उप मुख्य निरीक्षक:— कारखाना, जिसकी ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा हो तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलैक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्रीधारी या समकक्ष टीप— जहां कनिष्ठों ने अपनी अर्हता/योग्यता सेवा पूरी कर ली है उन पर पदोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जा रहा है बशर्ते कि किसी अर्हता/योग्यता सेवा या दो वर्षों के आधे से अधिक है इनमें जो भी कम है तथा इन्होंने अपने उन कनिष्ठों के साथ अगले उच्च ग्रेड पर पदोन्नति हेतु अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हता/योग्यता सेवा पहले ही पूरी कर ली है	ग्रुप (क) विभागीय पदोन्नति समिति पदोन्नति हेतु 1. अहमद/सदस्य-संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष 2. मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार —सदस्य 3. प्रशासन में संबंधित सचिव—सदस्य 4. संबंधित विभागाध्यक्ष जब तक कि वह प्रशासन में पदेन सचिव न हो —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक है।

राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली के
उप राज्यपाल के आदेश तथा नाम प
आर. एस. अवस्थी, सचिव (श्रम

LABOUR DEPARTMENT

NOTIFICATON

Delhi, the 8th October, 1997

No. F. 3(39)/1/96-LC/ESTT/4600.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitu tion, read with the Govt. of India, Ministry of Home Affairs notification No. F. 24/78/68-DH(S), dated the 24th Septembe 1968, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi after prior consultation with the Union Public Service Commis sion, is pleased to :—

Asstt Controller (Business)
Govt of India

27

71 1/C

(i) make rules in the Schedule hereto annexed, regarding the method of recruitment and qualifications necessary for appointment to the post of Chief Inspector of Factories in the Labour Department under this Government and

(ii) cancel recruitment rules for the post of Chief Inspector of Factories in the Labour Department of this Government notified vide S No. (i) of the notification No. F. 2 (48)/71-S-II, dated the 15th April, 1975.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Chief Inspector of Factories in the Labour Department Govt. of NCT, Delhi

Name of the Post	No. of posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether selection or non-selection post
1	2	3	4	5
Chief Inspector of Factories	1* *1997, subject to variation dependent on work load	General Central Services Group A Gazetted Non-ministerial	3000-100-3500-125-4500	Selection

Age limit for direct recruits	Whether benefits of added years of service admissible	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and other essential qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of the promotees	Period of probation if any
6	7	8	9	10
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	1 year

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer to be made, grade from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
11	12	13	14
Promotion	Promotion— Dy Chief Inspector of Factories with five years regular service in the grade and possessing a degree in Electrical/Mechanical Engineering from a recognised University/Institute or equivalent. Note— Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.	Group "A" DPC for promotion— 1. Chairman/Member UPSC—Chairman 2. Chief Secretary Govt. of Delhi—Member 3. Secretary concerned in the Admn.—Member 4. Head of the Deptt. concerned unless he is Ex-officio Secretary in the Admn.—Member	Consultation with UPSC not necessary

By Orders and in the name of
Lt. Governor of the Govt. of NCT of Delhi.
A.S. AWASTHI, Secy. (Labour)

Attested

15/6/07

Asstt Controller (Business)
Govt of India
Department of Publication
Civil Lines, Delhi-54